4/58660- 24/12/2021

दिनांक–16.12.2021 को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना द्वारा बेगूसराय जिला के भ्रमण उपरान्त विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों की समीक्षा से संबंधित भ्रमण टिप्पणी।

बेगूसराय जिला के 04 (चार) राजस्व ग्रामों का अधिकार–अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जाना है। अंतिम प्रकाशन के पूर्व उक्त राजस्व ग्रामों का अधिकार–अभिलेख एवं प्रारूप प्रकाशित राजस्व ग्रामों का अभिलेख एवं प्रारूप प्रकाशित राजस्व ग्रामों का अभिलेख का निरीक्षण के लिए निदेशालय स्तर से श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं श्री प्रवीण कुमार, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को भेजा गया। बेगूसराय जिला अंतर्गत निम्न शिविर के राजस्व ग्रामों का समीक्षा की गईः–

क्र0 सं0	शिविर का नाम / संख्या	राजस्व ग्राम का नाम	थाना संख्या
01.	पंचायत भवन, पचंभा–01	विनोदपुर	229
02.	पंचायत भवन, पचंभा–02	वड़ी सोख	232
03.	पंचायत सरकार भवन–02	बहदरपुर	518
04.	पश्चिमी पंचायत भवन–01, वीरपुर	फजिलपुर	466
05.	पंचायत सरकार भवन, सूजा	समसुद्दीनपुर	522
06.	पंचायत भवन, जिनेतपुर, बेगूसराय–03	चकपरना	236
07.	पंचायत भवन, पंचभा, बेगूसराय–01	चकफरीद	368
08.	पंचायत भवन, पचंभा	चकफरीद	367

सर्वप्रथम राजस्व ग्राम–बहदरपुर, थाना सं0–518 जिसका अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र शिविर द्वारा प्रकाशित किया गया है, कि सघन समीक्षा की गई, जिसका प्रतिवेदन निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	समीक्षा का बिन्दु	प्रगति की स्थिति		अभ्युक्ति
01.	शिविर कार्यालयों की स्थापना, संधारित अभिलेख एवं पंजी तथा सुरक्षा	क्या शिविर कार्यालय में आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता है ?	हाँ / नहीं ✓	
		क्या ग्राम सभा पंजी, वंशावली गार्ड फाईल, खतियानी विवरणी पंजी, खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) याद्दाश्त पंजी प्रपत्र–10, प्रपत्र–15 संधारित है ?	हाँ / नहीं ✓	
		क्या सभी पंजी का बाईडिंग किया गया है ?	हाँ / नही ✓	
		क्या शिविर कार्यालय में सुरक्षा के लिए चौकीदार को प्रतिनियुक्त किया जाता है ?	हाँ / नहीं ✓	
02.	विशेष सर्वेक्षण कार्य में जन–सहभागिता की समीक्षा 1. ग्राम सभा 2. स्वघोषणा (प्रपत्र–2) 3. वंशावली प्रपत्र–3(i) 4. ग्राम सभा में रैयतों की उपस्थिति	ग्राम सभा की संख्या	01	
		स्वघोषणा की संख्या	02	
		वंशावली की संख्या	02	
		ग्राम सभा में (प्रतिसभा) उपस्थित रैयतों की संख्या	25	

03.	सरकारी भूमि (गैरमजरूआ आम / मालिक) एवं बन्दोबस्त भूमि	क्या ग्राम का अंचल कार्यालय से सरकारी भूमि की सूची प्राप्त हुई ?	हाँ / नहीं ✓	राजस्व ग्राम में सरकारी भूमि नहीं है।
		क्या ग्राम का अंचल कार्यालय से बन्दोबस्त भूमि की सूची प्राप्त की गई ?	हाँ / नहीं ✓	
		क्या ग्राम का अंचल कार्यालय से वासगीत भूमि की सूची प्राप्त की गई ?	हाँ / नहीं ✓	
		क्या ग्राम का भू–अर्जित भूमि की सूची भू–अर्जन कार्यालय से प्राप्त की गई ?	हाँ / नहीं ✓	
04.	ग्राम अभिलेख का संधारण	क्या ग्राम अभिलेख संधारित किया गया है ?	हाँ / नहीं ✓	
		क्या संधारित ग्राम अभिलेख में विशेष सर्वेक्षण के उद्घोषणा प्रक्रम से अंतिम प्रकाशन अधिकार अभिलेख का उल्लेख किया गया हैं ?	हाँ / नहीं ✓	
05.	खतियानी विवरणी	क्या राजस्व ग्राम का खतियानी विवरणी (प्रपत्र–5) तैयार कर लिया गया है ?	हाँ / नहीं ✓	
		भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर अंतर्गत प्रपत्र–5 में इंट्री की गई खेसरों की कुल संख्या		
06.	किस्तवार प्रक्रम (त्रि–सिमाना का निर्धारण एवं ग्राम सीमा का सत्यापन सहित)	राजस्व ग्राम में निर्धारित त्रि–सिमाना की संख्या ?	0	
		क्या राजस्व ग्राम का ग्राम सीमा सत्यापन किया गया ?	हाँ / नहीं ✓	
		क्या राजस्व ग्राम में किस्तवार की कार्रवाई पूर्ण की गई है ?	हाँ / नहीं ✓	
		किस्तवार प्रारंभ के पूर्व राजस्व ग्राम में कुल भू–खण्ड की संख्या	04	
		भौतिक सत्यापन पश्चात् खेसरों की संख्या	08	
		क्या राजस्व ग्राम में त्रि–सिमाना निर्धारण किया गया, क्या फिल्ड बुक संधारित हैं ?	हाँ / नहीं ✓	
		राजस्व ग्राम का ग्राम सीमा सत्यापन किया गया, फिल्ड बुक संधारित है।	हाँ / नहीं ✓	
07.	विगत् सर्वे एवं वर्त्तमान सर्वे में तैयार मानचित्र में राजस्व ग्राम के कुल रकबा तुलनात्मक स्थिति (तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार 5 प्रतिशत तक अंतर मान्य)	कैडेस्ट्रल सर्वे / रिविजनल सर्वे का कुल रकबा एवं विशेष सर्वेक्षण का कुल रकबा एवं दोनों में अंतर प्रतिशत में	सी0एस0 का कुल रकबा– 5.39 एकड़ एस0एस0 का कुल रकबा– 5.28 एकड़ अंतर– 0.11 एकड़ प्रतिशत– 02%	अंतर 02% से कम है।

08.	किस्तवार प्रक्रम पूर्ण पश्चात् एजेंसी को मानचित्र उपलब्ध कराया जाना/एजेंसी से शिविर को प्राप्त किया जाना।	शिविर से किस्तवार प्रक्रम पश्चात् किस तिथि को एजेंसी को उपलब्ध कराया गया।		
		हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा खानापुरी के लिए किस तिथि को उपलब्ध कराया गया।	दिनांक–08.06.2021	
09.	खानापुरी प्रक्रम	किस तिथि से याद्दाश्त पंजी संधारण प्रारंभ की गई ?	दिनांक–10.06.2021	
		किस तिथि को याद्दाश्त पंजी संधारण समाप्त की गई ?	दिनांक–16.06.2021	
		क्या खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) संधारित है?	हाँ/नहीं ✓	
		क्या खेसरा पंजी का डाटा भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर के प्रपत्र–6 में अपलोड किया गया ?	हाँ/नहीं ✓	
		क्या खेसरा पंजी के कॉलम–10 में भौतिक विवरणी की प्रविष्टि की गई है?	हाँ/नहीं ✓	
		क्या खेसरा पंजी के कॉलम–11 में भूमि का वर्गीकरण की प्रविष्टि की गई है ?	हाँ/नहीं ✓	
		क्या खेसरा पंजी के कॉलम–12 से कॉलम–17 में फसल के अंतर्गत रकबा की प्रविष्टि की गई है ?	हाँ/नहीं ✓	
		क्या खेसरा पंजी में याद्दाश्त पंजी के आलोक में प्रविष्टि की गई ?	हाँ/नहीं ✓	
		खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) में प्रविष्टि की गई सरकारी भूमि के प्लाटों की कुल संख्या		सरकारी भूमि राजस्व ग्राम में नहीं है।
		क्या सरकारी भूमि के खाते में अवैध दखलकार का नाम दर्ज है ?	हाँ/नहीं ✓	
		क्या विभिन्न विभागों की भूमि के रूप में विभाग का नाम दर्ज किया गया ?	हाँ/नहीं ✓	लघु सिंचाई विभाग का नाम दर्ज है।
		(क) क्या खेसरा पंजी धार्मिक न्यास पर्षद की भूमि का देवी/देवता, कबीर मठ आदि के नाम खाता संधारित किया जा रहा है ?	हाँ/नहीं ✓	राज जानकी मंदिर का नाम दर्ज है।
		(ख) इस प्रकृति के प्लाटों की कुल संख्या		
		(क) क्या वक्फ की भूमि का खेसरा पंजी में वक्फ का नाम दर्ज किया जा रहा है?	हाँ/नहीं ✓	राजस्व ग्राम में वक्फ की भूमि नहीं है।
		(ख) इस प्रकृति के प्लाटों की कुल संख्या		

10.	खानापुरी पर्चा एवं एल0पी0एम0 वितरण की समीक्षा	खानापुरी पर्चा की संख्या	08	
		एल0पी0एम0 की संख्या	08	
		क्या वितरण की तामिला प्रति उपलब्ध है ?	हाँ/नहीं ✓	
		क्या खानापुरी पर्चा वितरण तामिला प्रति ग्राम–अभिलेख में संलग्न किया गया ?	हाँ/नहीं ✓	
11.	दावा/आक्षेप पंजी	क्या प्रपत्र–10 दावा/आक्षेप पंजी संधारित है?	हाँ/नहीं ✓	
		प्रपत्र–8 में प्राप्त दावा/आपत्तियों की कुल संख्या	01	
		क्या सरकारी पर्चा वितरण के विरूद्ध अधिकतम 15 दिनों के अंदर आपत्ति प्राप्त की गई है ?	हाँ/नहीं ✓	
		भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रपत्र–10 की प्रविष्टियों की कुल संख्या		
12.	खानापुरी के दौरान दावों/आक्षेपों का निपटारा	क्या सुनवाई के क्रम में अभिलेखों का समुचित संधारण किया गया है ?	हाँ/नहीं ✓	
		प्राप्त आपत्तियों के विरूद्ध कितने रैयतों को सुनवाई प्रक्रम में ऑफलाईन सूचना निर्गत की गई है		
		क्या विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम–10 के अनुसार दावा/आक्षेपों का निपटारा अधिकतम 30 कार्य दिवस में किया जा रहा है ?	हाँ/नहीं ✓	
		जाँच किए गए दावा/आक्षेप वाद संख्या–	आपत्ति का प्रकार	निपटारा स्वीकृत/ अस्वीकृत
		(i) PVT-202108000094	चौहद्दी एवं रकबा में सुधार	स्वीकृत
		(ii)		
		(iii)		
		(iv)		
		(v)		
		क्या विधिवत् सुनवाई की गई है ?	हाँ/नहीं ✓	
		सुनवाई उपरांत पारित आदेशों की कुल संख्या		
		कितनी आपत्ति का निपटारा आदेश/अभिलेख भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया है ?		
		दावा/आक्षेप के निपटारा पश्चात् खेसरा पंजी में कुल तरमीम की संख्या		
		क्या तरमीम के क्रम में अमीन का पूर्ण हस्ताक्षर है ?	हाँ/नहीं ✓	
		क्या खानापुरी मानचित्र में भी तरमीम किया जा रहा है ?	हाँ/नहीं ✓	

13.	प्रारूप प्रकाशन के पूर्व किया गया विश्रांति (Recess-1) कार्य	क्या सुनवाई में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है ?	हाँ / नहीं ✓	
14.	अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् आपत्ति आवेदनों पर कार्रवाई	प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों की कुल संख्या ?	01	
		निष्पादित आपत्तियों की कुल संख्या ?	01	
		लंबित आपत्तियों की कुल संख्या ?	0	
		जाँच किए गए दावा / आक्षेप वाद संख्या–	आपत्ति का प्रकार	निपटारा स्वीकृत / अस्वीकृत
		(i) PVT-202111000002	जाति सुधार	स्वीकृत
		(ii) PVT-202111000003	जाति सुधार	स्वीकृत
		(iii) PVT-202111000004	जाति सुधार	स्वीकृत
		(iv)		
		(v)		
		प्रपत्र–15 में प्रविष्टि किये गये आपत्तियों की कुल संख्या		
		कितनी आपत्ति का निपटारा आदेश / अभिलेख भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया है ?		
		कितनी आपत्ति का निपटारा आदेश का खेसरा पंजी में तरमीम किया गया है ?		
		कितनी आपत्ति का निपटारा आदेश के अनुसार प्रारूप प्रकाशित मानचित्र में सुधार किया गया है ?		
15.	विश्रांति द्वितीय चरण	क्या प्राप्त आपत्ति का निपटारा आदेश के अनुसार खेसरा पंजी में तरमीम किया गया ?	हाँ / नहीं ✓	
		क्या प्रारूप प्रकाशित मानचित्र का खेसरावार रकबा का मुकाबला (तुलना) खेसरा पंजी के खेसरा से किया गया है?	हाँ / नहीं ✓	
16.	लगान दर तालिका (प्रपत्र–18 (क)) का संधारण	क्या भूमि का वर्गीकरण के अनुसार लगान संधारण किया गया है ?	हाँ / नहीं ✓	
		लगान दर तालिका के प्रकाशन पश्चात् आपत्ति की संख्या	0	
17.	प्रपत्र–20 में अधिकार अभिलेख का प्रकाशन	अधिकार अभिलेख के प्रकाशन की तिथि	दिनांक– 08.12.2021 से 07.01.2022	
		अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की त्रुटि पाई गई है। यदि हां तो विवरण दें।		

उपरोक्त शिविरों के राजस्व ग्रामों का अभिलेख यथा खतियानी विवरणी, खेसरा पंजी, स्वघोषणा, वंशावली, याददास्त पंजी इत्यादि की समीक्षा में निम्न कमियाँ पाई गई, जिसे सर्वेक्षण के सभी प्रक्रमों में उल्लेखित होना आवश्यक है:–

1. किस्तवार कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जन–सहभागिता हेतु ग्राम सभा का आयोजन, किस्तवार एवं खानापुरी कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित राजस्व ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन आवश्यक है। साथ ही ग्राम सभा पंजी में कार्यवाही का विस्तृत लेखन किया जाना चाहिए।
2. ग्राम सभा पंजी, खेसरा पंजी, याददास्त पंजी एवं प्रपत्र–5 का सही रख–रखाव के लिए बाईंडिंग कर रखा जाना और सुनवाई संबंधी अभिलेखों को अच्छी ढंग से रख–रखाव किया जाना चाहिए।
3. खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) के कॉलम–10 (भौतिक विवरणी) में Land Use को दर्शाना अनिवार्य है।
4. खेसरा पंजी (प्रपत्र–6) के कॉलम–11 (भूमि का वर्गीकरण) में कृषि, चौड़–दियारा, विभिन्न विभागों की भूमि, शहरी/व्यवसायिक भूमि आदि का स्पष्ट उल्लेख हार्डप्रति एवं सॉफ्टप्रति में किया जाना अनिवार्य है।
5. विभिन्न विभागों की भूमि का खाता विभाग के नाम से खोला जाना अनिवार्य है ताकि नियमानुसार लगान निर्धारण किया जा सके।
6. लगान दर तालिका के अवलोकन से पता चला कि भूमि वर्गीकरण के क्रम में अधिकांशतः कृषि भीठ की प्रविष्टि की जा रही है, जबकि उपज के अनुसार कृषि धनहर का भी विकल्प है।
7. अमीन द्वारा तरमीम के क्रम में लघु हस्ताक्षर किया जाता है। अमीन द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक के साथ किया जाना चाहिए।
8. दावा/आपत्ति के सुनवाई में आदेशफलक में दावा/आपत्ति का सार, साक्ष्य, जाँच प्रतिवेदन एवं सकारण निर्णय पारित होना चाहिए।
9. भूमि के वर्गीकरण में सामान्य बाग–बगीचा, पौधे के स्थान पर जंगल अंकित नहीं किया जाना चाहिए।
10. गैर मजरूआ आम/गैर–मजरूआ मालिक भूमि का चौहद्दी अंकन नहीं किया गया है, जो किया जाना चाहिए।
11. गैर मजरूआ खास भूमि के अभ्युक्ति में अवैध–दखल का वर्णन किया गया है। कुछ में अतिक्रमण का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन नहीं किया जाना चाहिए।
12. कुछ रैयती भूधारी का आधार सं0 एवं मो0 न0 अभ्युक्ति में अंकित नहीं किया गया है, अंकित किया जाना चाहिए।
13. कुल रकबा का फसल के अधीन खेती योग्य भूमि यथा भदई, अगहनी, रब्बी, अन्य में अंकित नहीं किया गया है, इसको अंकित करना अनिवार्य है।
14. रैयत के नाम के साथ अंश का वर्णन किया जा रहा है, अंश का वर्णन नहीं किया जाना है।

शिविर संख्या–01, पंचायत भवन, पचंभा का निरीक्षण किया गया। शिविर प्रभारी, सुश्री प्रिया त्रिपाठी है। शिविर अंतर्गत 33 राजस्व ग्राम है। शिविर अंतर्गत अवस्थित राजस्व ग्रामों का विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यों के प्रक्रमवार समीक्षा की गई, जिसकी स्थिति निम्नवत् है:–

शिविर में कुल मौजों की सं0	कुल मौजा जिसमें उद्घोषणा कर दी गई है।	कुल मौजों की संख्या जिनका प्रपत्र–5 तैयार कर लिया गया है।	कुल त्रि–सिमाना की सं0	सत्यापित किए गए कुल त्रि–सिमाना की संख्या	किश्तवार की कार्रवाई			खानापुरी की कार्रवाई		
					कुल मौजे जिसमें किश्तवार की कार्रवाई प्रारंभ की गई।	कुल मौजे जिसमें किश्तवार की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई।	अवशेष मौजे जिसमें किश्तवार की कार्रवाई लंबित है।	कुल मौजे जिसमें खानापुरी की कार्रवाई प्रारंभ की गई।	कुल मौजे जिसमें खानापुरी की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई।	अवशेष मौजे जिसमें खानापुरी की कार्रवाई लंबित है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	33	33	166	166	30	29	01	29	14	15

प्रपत्र–6 (खेसरा पंजी) तैयार किया जाना		कुल मौजों की संख्या जिनका प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया गया है।	अंतिम प्रकाशन हेतु भेजे गये मौजों की संख्या
कुल मौजों की संख्या जिनका खेसरा पंजी तैयार कर लिया गया है।	कुल मौजों की संख्या जिनका खेसरा पंजी तैयार किया जा रहा है।		
12	13	14	15
12	17	07	2

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बन्दोबस्त पदाधिकारी की उपस्थिति में शिविर प्रभारी को निम्न निदेश दिया गया कि:–

(i) निदेशालय स्तर के दल द्वारा विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य के विभिन्न प्रक्रम के सभी अभिलेखों का समीक्षा में पाई गई त्रुटियाँ पर सुझाव के अनुसार शीघ्र निराकरण कर दें।

(ii) प्रारूप प्रकाशित राजस्व ग्रामों में प्राप्त दावा/आपत्ति का निपटारा कर विशेष सर्वेक्षण प्रक्रम का अग्रेतर कार्रवाई किया जाय।

(iii) प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् याददाश्त पंजी को स्कैन कर भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए जाए।

(iv) मो0 अफताब आलम, उच्चवर्गीय लिपिक शिविर में अनुपस्थित पाये गये, जबकि अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के भ्रमण की सूचना पूर्व में ही दी गई थी। मो0 अफताब आलम द्वारा आकस्मिक अवकाश आवेदन पत्र बिना स्वीकृत कराये ही कार्यालय में रखकर शिविर से गायब थे। शिविर प्रभारी द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी इनका इस प्रकार का आचरण रहा है। इनके स्वेच्छाचारिता, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता तथा वरीय पदाधिकारी के आदेशों के उल्लंघन के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय बन्दोबस्त कार्यालय, मुंगेर रहेगा। बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय को शीघ्र ही आरोप–पत्र गठित कर भेजने संबंधी निदेश दिया गया।

(v) भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर प्राप्त दावा/आपत्ति का निपटारा का आदेशफलक अपलोड करें, उसके साथ प्रपत्र–10 की पंजी अपलोड नहीं किया जाय।

(vi) विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण कानूनगो प्राप्त दावा/आपत्ति का सुनवाई में पारित आदेश सकारण निर्णय दिया जाय। कार्यवाही समाप्त किये जाने में आदेशार्थ शब्द का उपयोग नहीं किया जाय।

(vii) शिविर प्रभारी/कानूनगो द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के वेबसाईट पर बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएँ पर लिंक कर अपलोड की गई समस्त कार्यवाहियों की प्रथम दृष्टया जाँच कर लेनी चाहिए।

(viii) अमीन द्वारा अमीन डायरी ऑनलाईन प्रतिदिन संधारित किया जाय। ऑफलाईन नहीं की जाय।

(ix) बन्दोबस्त पदाधिकारी को भी निदेशित किया गया कि राजस्व ग्रामों का प्रारूप प्रकाशन की सूचना स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से आम रैयतों को दी जाय।

(x) अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन पश्चात् उक्त राजस्व ग्राम का सभी अभिलेख एवं याददाश्त पंजी का स्कैनिंग कर भू–सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में ऑनलाईन अपलोडिंग कर सभी अभिलेख जिला बन्दोबस्त कार्यालय में जमा कराया जाय।

बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय का निरीक्षण किया गया। साथ ही बन्दोबस्त कार्यालय में विश्रांति द्वितीय चरण के शाखा का निरीक्षण किया गया। वहाँ उपस्थित कर्मी को निदेश दिया गया कि मानचित्र को राजस्व ग्रामवार डिब्बा में सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाय।

IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा प्रतिनिधि द्वारा अंतिम प्रकाशन के लिए राजस्व ग्राम का मानचित्र के लिए Template निदेशालय से उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस पर अधोहस्ताक्षरी ने निदेशालय के उपस्थित पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि शीघ्र निदेशालय से मानचित्र में Template के लिए पत्र निर्गत किया जाए।

बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय के उपरांत सभी शिविर प्रभारियों, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) तथा बन्दोबस्त पदाधिकारी के साथ जिनका सभागार में बैठक की गयी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी शिविर प्रभारियों को बताया कि मार्च, 2022 तक विशेष सर्वेक्षण के किस्तवार एवं खानापुरी प्रक्रम का कार्य समाप्त किया जाय। साथ ही किस्तवार प्रक्रम में सभी खेतों का नापी कर खेसरा का निर्माण नहीं किया जाय। निदेशालय से निर्गत पत्र के आलोक में किस्तवार कार्य तय सीमा अंतर्गत समाप्त किया जाय।

समीक्षा के क्रम में पता चला कि अंचल, मंसुरचक, गढ़पुरा, साहेबपुर कमाल के राजस्व ग्रामों में किस्तवार प्रक्रम का कार्य में बहुत ही धीमी गति से चल रही है, इस पर बन्दोबस्त पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि अभिरूचि लेकर जनवरी माह तक किस्तवार कार्य अवश्य ही संपन्न कराया जाय क्योंकि मौसम भी अनुकूल है। साथ ही IIC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि को निदेशित किया गया कि E.T.S मशीन, प्रिज्म एवं कर्मी की संख्या में बढ़ोत्तरी कर किस्तवार प्रक्रम सहयोग प्रदान कर शीघ्र संपन्न कराया जाय। अनाबाद बिहार सरकार एवं अनाबाद सर्वसाधारण के खेसरों मे चौहद्दी अवश्य दर्शाया जाय।

फेज–2 की राजस्व ग्रामों के सर्वेक्षण कार्य समीक्षा क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित किया गया कि खतियानी विवरणी लेखन कार्य शीघ्र संपन्न किया जाय। शिविर प्रभारी द्वारा अनुरोध किया गया कि खतियानी विवरणी अपलोड किये गये कार्य को देखने के लिए हमलोगों Access दी जाय। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि अमीन के Login से आप सभी शिविर प्रभारी देख सकते है।

प्रपत्र–18(क) लगान निर्धारण में विलंब के कारण में बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय द्वारा बताया गया कि अपर समाहर्त्ता, बेगूसराय का स्थानांतरण हो चुका है। वर्त्तमान में अपर समाहर्त्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी दैनिक कार्य हेतु प्रभार में है। इसके कारण उनके द्वारा प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की गई है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित किया गया कि प्रभारी पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता की अनुपस्थिति में बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा ही प्रपत्र–18(क) को अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

शिविर प्रभारी द्वारा बताया गया कि सरकारी भूमि की रसीद कट रही है। अंचल अधिकारी को सूचना देने पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाता है तब निदेशित किया गया कि सरकारी भूमि की रसीद रैयत द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, तब इसकी सूची जिला बन्दोबस्त कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय तत्पश्चात् बन्दोबस्त पदाधिकारी उक्त सूची को संधारित कर समाहर्त्ता, बेगूसराय को पत्र के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराया जाय।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बताया गया कि प्रति शिविर 10,000/– रूपये की राशि आकस्मिकता के रूप में शीघ्र बन्दोबस्त कार्यालय का उपलब्ध कराया जाएगा।

अंत में बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

23/12/21

(जय सिंह)
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0(3)विविध–(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)–8/2021...4586... **पटना, दिनांक** :–24/12/2024

प्रतिलिपि:–प्रभारी सचिव, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, नालंदा, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0(3)विविध–(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)–8/2021...4586... **पटना, दिनांक** :–24/12/2024

प्रतिलिपि:–प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ, भागलपुर, मगध, पटना, कोशी, मुंगेर एवं तिरहुत को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि प्रमण्डल अंतर्गत चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्यों का अनुश्रवण अपने स्तर से किया जाए।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0(3)विविध–(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)–8/2021...4586... **पटना, दिनांक** :–24/12/2024

प्रतिलिपि:–समाहर्त्ता, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल, शेखपुरा एवं जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0(3)विविध–(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)–8/2021...4586... **पटना, दिनांक** :–24/12/2024

प्रतिलिपि:– बंदोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल, शेखपुरा एवं जमुई को सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि अपने स्तर सभी शिविर प्रभारियों को भ्रमण टिप्पणी में निर्धारित किए गए समीक्षा के बिन्दु के अनुरूप निदेश दिया जाय।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0(3)विविध–(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)–8/2021...4586... **पटना, दिनांक** :–24/12/2024

प्रतिलिपि:– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जहानाबाद, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, प0 चम्पारण, मुंगेर, नालंदा, शिवहर, बांका, अरवल, शेखपुरा एवं जमुई को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक: 01/भू0अ0नि0(3)विविध–(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)–8/2021...4586... **पटना, दिनांक** :–24/12/2024

प्रतिलिपि:–श्री अनिल कुमार सिंह, अनुदेशक, चकबंदी/श्री राकेश कुमार, सहायक निदेशक, भू–अर्जन!/सहायक निदेशक/एल0आई0एस0 सलाहकार/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण शाखा/जिलों के प्राधिकृत सभी नोडल पदाधिकारी भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 01/भू0अ0नि0(3)विविध–(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)–8/2021 4586 पटना, दिनांक :– 24/12/2021

प्रतिलिपिः– IIC. IEISL (IL& FS), GISC, हवाई सर्वेक्षण एजेंसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 01/भू0अ0नि0(3)विविध–(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)–8/2021 4586 पटना, दिनांक :– 24/12/2021

प्रतिलिपिः– प्रभारी आई0टी0 सेल/श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः 01/भू0अ0नि0(3)विविध–(सर्वे0 एवं प्रशि0 बैठकों की कार्यवाही)–8/2021 4586 पटना, दिनांक :– 24/12/2021

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप
23/12/21